

14 नवंबर को "बाल दिवस" के रूप में मनाया जाता है। सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरह से भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन, 5 सितंबर को "शिक्षक दिवस" के रूप में मनाया जाता है, उसी तरह भारत के प्रथम राष्ट्रपति, "भारत रत्न" डा. राजेन्द्र प्रसाद जी के जन्मदिन, 3 दिसंबर को "राष्ट्रीय मेघा दिवस" के रूप में मनाया जाए। महोदय, हम ऐसा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं।

श्री सभापति : आपका धन्यवाद। कल डा. राजेन्द्र प्रसाद जी का जन्मदिन था। He was a great son of this great country.

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (बिहार) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूँ।

CH. SUKHRAM SINGH YADAV (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Ram Nath Thakur.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Ram Nath Thakur.

SHRI JOSE K. MANI (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Ram Nath Thakur.

**Need for withdrawal of guidelines restricting loans to students studying in
NAA/NBA accredited institutions**

SHRI PRABHAKAR REDDY VEMIREDDY (Andhra Pradesh) : Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak. Sir, students from poor families, farmers, and all these people who are sending their children for higher education to institutions, colleges, had been getting loans, and the condition was that these institutions should come under the UGC. But, now, the HRD Ministry has come out with a new rule saying that only students who are studying in NAA/NBA in universities, colleges, and institutions of national importance, will be given these loans. So, I request the Minister to consider this rule because there are only thousand students who come under the ambit of this rule, and the number of students from poor families is much more. There are very few students who come out of IITs and IIMs, and from there also, hundred per cent of them are not getting jobs. What do the banks say? Banks say, if they come through this channel, they get jobs, and their loan is guaranteed. But, I don't

[Shri Prabhakar Reddy Vemireddy]

agree with that because you should consider mainly the poor students, and you can't expect everyone to get into IITs and IIMs, which come under this rule. So, I request the HRD Minister to consider this and see that the previous rule comes, and *status quo*, is maintained. They also put conditions saying that loans up to ₹ 4.5 lakh and above will not be given. That point also should be considered. The last request is, it would be proper if they continue with the same portal which was there previously, that is, the Vijay Lakshmi Portal. Thank you, Sir.

CH. SUKHRAM SINGH YADAV (Uttar Pradesh) : Sir, I associate myself with the matter raised by Shri Prabhakar Reddy Vemireddy.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Prabhakar Reddy Vemireddy.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Prabhakar Reddy Vemireddy.

Problems being faced by residents of O-Zone in Delhi

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है।

मान्यवर, यह दिल्ली के लाखों लोगों से जुड़ी हुई समस्या है। नदियों के किनारे 300 मीटर से लेकर 500 मीटर तक का एरिया ओजोन एरिया माना जाता था, लेकिन दिल्ली के अंदर 3-3.5 किलोमीटर तक का एरिया ओजोन एरिया में ले लिया गया है, जिसके कारण बदरपुर विधान सभा क्षेत्र, जहां पर लाखों लोग रहते हैं, अगर वे आज एक ईंट भी लगाना चाहते हैं, तो वह भी नहीं लगा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके कारण अकेले बदरपुर विधान सभा में 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वे वहां पर कोई निर्माण नहीं कर सकते हैं, उनको भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, अधिकारियों को रिश्वत देने का शिकार होना पड़ता है एवं अन्य तमाम तरीके की मुसीबतें भी उन्हें झेलनी पड़ती हैं।

मान्यवर, इसी तरीके से करावल नगर एरिया, ओखला विधान सभा क्षेत्र, श्राइन बाग, सोनिया विहार, श्रीराम कॉलोनी, मुस्तफा बाग, बुराड़ी आदि भी प्रभावित एरियाज़ हैं। यदि इन सभी इलाकों को मिला लिया जाए, तो करीब-करीब साठ-सत्तर ऐसी कॉलोनियां हैं, जिनको ओजोन एरिया के तहत बिल्कुल अवैध और अनधिकृत एरिया घोषित किया जाता है। इसके कारण उनके जीवन के सामने एक संकट पैदा हो गया है। कहने के लिए तो उन्होंने घर बना लिया, लेकिन वह घर न उनका माना जाता है, न वे वहां पर कोई निर्माण कार्य करते हैं, न वे वहां पर कुछ कर सकते हैं।